permitted for power plants and whether State Governments had been urging the Union Government to permit setting up of liquid fuel based power plants in private sector also;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) whether , such a decision of Government is likely to adversely affect fuel oil's supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (d) Government has permitted vide Resolution dated 6.11.1995 setting up of dicsel engine generating units of reciprocating type using heavy fuel oils such as, Heavy Petroleum Stock (HPS), Low Sulphur Heavy Stock (LSHS), Heavy Furnace Oil (HFO), Furnace Oil (FD) and Natural Gas, wherever available, as primary fuel. No HSD (diesel) will be permitted as fuel. Use of Naphtha as primary fuel in a thermal plant has also been permitted. Several State Governments had made requests for permitting liquid fuel based power plants to be set up in order to meet the demand-supply gap in the short term. In order to regulate construction of such plants and fuel supply, the Resolution provides that fuel linkage for the project would be recommended to Minister of Petroleum and Natural Gas only after 'in principle' clearance of the Central Electricity Authority, This mechanism is expected to adequately safeguard against any possible adverse effects on fuel supply.

**पावर फाइनेंस कारपोरेशन और पावरग्रिड कारपोरेशन की भूमिका की समीक्षा**

856. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार पावर फाइनेंस कारपोरेशन और पावरग्रिड कारपोरेशन जैसे संगठनों की भूमिका और उनके भविष्य की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले है; और

(ग) सरकार विद्युत सम्बन्धी आर्थिक उदारीकरण नीतियों में इन संगठनों की भूमिका को किस प्रकार शामिल करेगी?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल) :** (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकों के माध्यम से विद्युत वित्त निगम और पावरग्रिड कारपोरेशन की कार्य प्रणाली की अवधिक रूप से समीक्षा करता है । ये समीक्षा समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदण्डों, विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा विशेष मुद्दों पर नीति संबंधी निर्देशों के अनुसार की जाती है । जब भी आवश्यक हो, निगमों की निर्बाध रूप से अपने निगमित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें उचित सलाह दी जाती है ।

(ग) विद्युत वित्त निगम विद्युत क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, यथा पारेक्षण एवं वितरण, प्रणाली सुधार, तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरणा आदि पर जोर देता है । निजी, क्षेत्र, नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही यूटिलिटियों तथा केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों का वित्त पोषण किए जाने पर विचार करने का निर्णय भी लिया गया है । जहां तक विद्युत पारेषण का संबंध है, निजी निवेश प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।